अपराध क्या है? (What is crime?)

समाज एक अति सरल व्यवस्था नहीं है। समाज के अन्तर्गत हमें अनेक प्रकार के व्यक्तियों, समूहों आदि का दर्शन होता है। इनमें से प्रत्येक यही चाहता है कि उसके हितों या स्वार्थों की अधिकतम पूर्ति हो। इसके लिए वह दूसरे के स्वार्थों या हितों पर आक्रमण करने के लिए तैयार होता है। अगर उन्हें मनमाने ढंग से काम करने की स्वतंत्रता दे दी जाय तो समाज में सुव्यवस्था व शांति एक ही दिन में ढेर का सपना बन जाए। इसलिए समाज में व्यक्ति के व्यवहारों पर नियंत्रण करने के लिए कुछ नियम होते हैं जिनका निर्माण समाज की व्यवस्था तथा हित की रक्षा के लिए किया जाता है। समाज के प्रत्येक सदस्य से यह आशा की जाती है कि वह इन नियमों का पालन व आदर करते हुए समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहार प्रतिमानों को अपने व्यक्तित्व में मूर्त व क्रियाशील रखेगा। परन्तु प्रत्येक समाज और प्रत्येक समय में कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो कि अपनी वंशानुक्रमीय, मानसिक त्रुटियों के कारण या आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक परिस्थितियों की अवस्था दबाव के कारण इन प्रतिमानों के अनुकूल व्यवहार नहीं कर पाते और उस रूप में जान-अनजान में सामाजिक नियमों का उल्लंघन कर पाते हैं। इसी प्रकार समाज के नियमों का उल्लंघन करते हुए कार्य करना ही अपराध कहलाता है। ऐसा कोई समाज नहीं है जहां पर कि अपराध न होता हो और ऐसा कोई समय भी नहीं है जब अपराध की बात न सुनी गई हो या न सुनी जाएगी। वास्तव में अपराध सदैव उपस्थित रहने वाली एक स्थिति है, ठीक उसी प्रकार जैसे मृत्यु, बीमारी, अस्वस्थता, विघटन आदि हैं। व्यक्ति का वह आचरण, जो कि सामाजिक या वैधानिक नियम के विपरीत है और इसलिए जिसको करने की स्वीकृति समाज व्यक्ति को प्रदान नहीं करता है, विभिन्न दृष्टिकोण से, विभिन्न नाम से पुकारा जाता है, जैसे नीतिशास्त्र के अनुसार ऐसे समाज-विरोधी कार्य 'अनैतिक कार्य', धर्मशास्त्र के अनुसार पाप है और समाज एवं अपराधशास्त्र के दृष्टिकोण से जिन्हें अपराध कहा जाता है। अपराध की वैज्ञानिक धारणा अभी हाल में ही विकसित हुई है इसके पहले

अपराध को एक व्यक्तिगत धारणा माना जाता था, जिसका कोई समाज बाहरी अवस्थाओं और कारकों से नहीं था। उस समय यह विश्वास किया जाता था कि व्यक्ति कुछ अपने ही आन्तरिक या कुछ व्यक्तिगत दोषों के कारण अपराध करता है। परन्तु अब यह धारणा बिल्कुल बदल गई है। पुराने समाज में ईश्वरीय नियमों का उल्लंघन करना अपराध कहा जाता था। जो भी कार्य देवी-देवताओं के लिए आदेशों व सम्मानों के विरुद्ध होता था उसे अपराध माना जाता था। परन्तु आज परिस्थिति बदल गई है और उसके साथ-साथ अपराध की धारणा भी। आज सामाजिक दृष्टिकोण से अपराध व्यक्ति का वह आचरण है जो कि समाज के नियम के विरुद्ध है और कानूनी दृष्टिकोण से राज्य द्वारा प्रतिपादित कानून का उल्लंघन करना अपराध माना जाता है।

अपराध की वैधानिक अवधारणा

(Legal Concept of crime)

अपराध व्यक्ति का एक आचरण है परन्तु इस आचरण के दो स्पष्ट पक्षों का उल्लेख आज अपराध की अवधारणा के अन्तर्गत किया जाता है। पहला पक्ष वैधानिक है जिसके अन्तर्गत अपराध वास्तव में वही कार्य है जिसके द्वारा वैधानिक नियमों या कानून का उल्लंघन है, परन्तु कानून का प्रतिपादन कुछ सामाजिक अपराधों पर ही हुआ करता है, इसलिए अपराध के अन्तर्गत भी एक सामाजिक आधार अवश्य ही होता है और यही है अपराध का दूसरा और समाजशास्त्रीय पहलू। इन दोनों पहलुओं को अलग-अलग समझ लेना अपराध की अवधारणा के सम्बन्ध में वैधानिक ज्ञान संभव नहीं है।

समाप्त